न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गंगापुर जिला भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी–विकास पंचोली (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–21/2016 (2016/00446) दर्ज दिनांक 11.06.2016

प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0

अनवान

1. नारू आत्मज बख्तावर नायक
2. शंकर आत्मज सालग नायक
3. लक्ष्मण आत्मज सालग नायक
4. बद्री आत्मज सालग नायक
5. बाबुलाल आत्मज सालग नायक

सर्व निवासी केरपुरा तहसील सहाड़ा जिला भीलवाड़ा।

––प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर

––विपक्षी

अधिवक्ता प्रार्थीगण : श्री रितेश सुराणा

विपक्षी : पेरोकार सरकार

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट ::

निर्णय दिनांकः–29.01.2021

:: निर्णय::

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट के तहत विपक्षी के विरूद्व प्रस्तुत कर ग्राम कोशीथल पटवार हल्का कोशीथल तहसील सहाड़ा के बेरून हल्का आबादी मे साबिक आराजी संख्या 3026/2294/2 रकबा 2 बीघा भूमि अन्य आराजियात के साथ बख्तावर आत्मज जोरा नायक निवासी केरपुरा के नाम दर्ज रेकार्ड थी। जो ग्राम केरपुरा की आबादी से कुछ दुरी पर स्थित थी । प्रमाण में नकल जमाबंदी संवत् 2037 से 2040 साथ संलग्न है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.02.18 12:59:54 IST
Reason: SelfAttested

1.

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

हस्ताक्षर वकील

यह कि भुप्रबंध कार्यवाही के दौरान ग्राम कोशीथल का भी नवीन भू प्रबंध हुआ है, जिसमें भुप्रबंध अधिकारियों ने बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के अपने कार्यवाही में गौर लापरवाही बरतते हुए ग्राम केरपुरा की आबादी से नवीन नक्शे को साबिक नक्शे के अनुरूप नही बनाया एवं बख्तावर की साबिक आराजी को भी नवीन नक्शे में साबिक नक्शे के अनुरूप दर्ज नहीं की तथा नवीन नम्बर कायम करते समय भी साबिक आराजी संख्या 3026/2294/2 जो बख्तावर एवं उनकी मृत्यु के वाद हमारे कब्जे में चली आ रही है। के नवीन नम्बर 5843, 5844 को उक्त आराजी का भाग नहीं बता कर आराजी संख्या 2292, 2294 के भाग बता दिये और खसरा पत्रक में भी बख्तावर का नाम कॉलम संख्या 22 में लिख कर उसे पुनः काटते हुए गलत तरीके से बिलानाम दर्शा दिया गया है जवकि उक्त दोनों हाल आराजी संख्या 5843 रकबा 0.18 हे0, 5844 रकबा 0.20 हे0 भूमियां बख्तावरजी के समय से आज दिन तक हम प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

यह कि बख्तावर आत्मज जोरा जी के सात पुत्र थे। जिनके नाम क्रमशः भंवरू, कालु, सालग, रामा, लेहरू, नारू, नाथु थे व उनकी पत्नि मु0 कंवरी थी, जिनमें से भंवरू, कालु, सालग, कंवरी व रामा आदि की मृत्यु हो चुकी है। हम सभी भाईयों के मध्य बख्तावरजी की कृषि आराजियात का विभाजन हो चुका है, जिसमें वाद वर्णित हाल आराजी संख्या 5843 व 5844 प्रार्थीगण नारू व प्रार्थीगण संख्या दो लगायत पांच के पिता सालग जी के रखी गई थी लेकिन खाते में दर्ज नहीं होने से वह नाम पर दर्ज नहीं हुई। जो आज बिलानाम चली आ रही है लेकिन उस पर आज दिन तक कब्जा हमारा ही चला आ रहा है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र हम प्रार्थीगण की ओर से ही प्रस्तुत किया जा रहा है।

यह कि भुप्रबंध अधिकारियों ने अपने अधिकारों से परे जाकर बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के राजस्व नक्शे में काफी हेर फेर करते हुए हम प्रार्थीगण की आराजी जिसके हाल नम्बर 5843, 5844 हे0 को बिलानाम दर्ज कर दिया गया, जिससे इस आशय की इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है कि ग्राम केरपुरा की आबादी के नक्शे को एवं उसके आस पास की आराजियात के राजस्व नक्शे को साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शे में इन्द्राज किया जावे तथा हाल आराजी संख्या 5843, 5844 जिसे बिलानाम दर्ज कर दिया गया है को हम प्रार्थीगण के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायोचित है।

अतः सादर प्रार्थना हैं कि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम कोशीथल के राजस्व नक्शे जिसमें ग्राम केरपुरा की आबादी के नक्शे को एवं उसके आसपास की आराजियात के राजस्व नक्शे को साबिक नक्शे के अनुरूप नवीन नक्शे में इन्द्राज किया जावे तथा हाल आराजी संख्या 5843, 5844 जिसे बिलानाम दर्ज कर दिया गया है को हम प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.02.18 12:39:54 IST
Reason: SelfAttested

2.

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
मांगरोल जिला बांसवाड़ा (राज.)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। विपक्षी को विधिवत सूचना पत्र जारी किया गया जो सूचना होने के बावजूद विपक्षी पेरोकार उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। पेरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश कर पेरा सं0 01 रेकार्ड अनुसार स्वीकार की है, पेरा संख्या 02 अस्वीकार की है खसरा पत्रक अनुसार साबिक आराजी नं0 3026/2294/2 रकबा 2 बीघा के हाल आ0नं0 5845, 5846, 5847, 5848, 5849, 5852 किता 6 रकबा कुल 0.44 हे0 को वादीगणों के नाम दर्ज किये गये है। साबिक आराजी नं0 3026/2294/2 के रकबा 2 बीघा हे0 में रकबा 0.4317 हे0 बनता है जिसके मुकाबले तत्समय कब्जा अनुसार भुप्रबंध विभाग द्वारा आराजी नं0 5845, 5846, 5847, 5848, 5849, 5852 किता 6 रकबा कुल 0.44 हे0 को वादीगणों के नाम दर्ज कर दिया जो सही है। पेरा संख्या 03 वादी स्वयं सिद्ध करें। पेरा सं0 4 अस्वीकार है क्योंकि साबिक नक्शे में साबिक आराजी नं0 3026/2294/2 रकबा 2 बीघा एवं केरपुरा की आबादी के मध्य आराजी नं0 2294 /2 /4 मी0 आता है जबकि हाल आ0नं0 5843 एवं 5844 केरपुरा की आबादी भूमि के सटे हुए है। इस प्रकार दोनो हाल आराजी नं0 5843, 5844 साबिक आराजी नं0 3026/2294/2 के भाग नहीं सकते है। पेरा संख्या 5 से 7 न्यायिक है। अतः निवेदन हैं कि साबिक आराजी नं0 3026/2294 रकबा 2 बीघा का जितना हाल हे0 में 0.4317 रकबा बनता है उसके मुकाबले 0.44 हे0 रकबा वादीगणों के नाम दर्ज किया जा चुका है। प्रकरण खारिज योग्य है।

तहसीलदार सहाड़ा मु0 गंगापुर से उक्त प्रार्थना पर पर मौका रिपोर्ट तलब की गई जो इस प्रकार है:–

मौके रिपोर्ट अनुसार ग्राम कोशीथल के आराजी नं0 5846 रकबा 0.110 हे0, 5847 रकबा 0.10 हे0, 5848 रकबा 0.02 हे0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.23 हे0 वादी खातेदार नारू पिता बख्तावर नायक सा0देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार आ0नं0 5849 रकबा 0.10 हे0 5852 रकबा 0.10 हे0 कुल किता 2 कुल रकबा 0.20 हे0 वादी खातेदार शंकर बद्री लक्ष्मण बाबू उर्फ बालू मनोहरी बादाम पिता सालग नायक के नाम दर्ज रेकार्ड है। आराजी नं0 5845 रकबा 0.01 हे0 गेमुआचा उपरोक्त दोनो खातेदारो के 1/2 हि0 दर्ज रेकार्ड है। मौके पर खाते में दर्ज भूमि अनुसार कब्जा काश्त है। इसी प्रकार ग्राम कोशीथल का पुराना आराजी नं0 3026/2294/2 रकबा 2 बीघा बख्तावर पिता जोरा नायक सा0 केरपुरा के नाम दर्ज था। मिलान खसरा अनुसार उसके नवीन नम्बर 5845, 5846, 5847, 5848, 5849, 5852 किता 6 रकबा कुल 0.44 हे0 बनाये गये। जो रकबा पूर्व के मुकाबले सही है उक्त भूमिया विरासत एवं बटवाड़ा से वादीगणों के नाम आई। ग्राम कोशीथल के आराजी नं0 5843 रकबा 0.18 हे0 बीड़ एवं 5844 रकबा 0.20 हे0 बीड़ कुल किता 2 रकबा 0.38 हे0 बिलानाम का0का0 खाते में दर्ज है। जो वर्तमान में वादीगणों के कब्जेकाश्त में होकर धारा 91 की कार्यवाही की जा रही है। साबिक नक्शे में साबिक आराजी नं0 3026/2294/2 रकबा 2 बीघा एवं केरपुरा की आबादी के मध्य आराजी नं0 2294/2/4 मी0 आता है। हाल आराजी नं0 5843 व 5844 केरपुरा की आबादी भूमि से सटे हुये है। इस प्रकार दोनो हाल आराजी नं0 5843, 5844 साबिक आराजी नं0 3026/2294/2 रकबा 2 बीघा के भाग नहीं हो सकते ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.02.18 12:59:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
गंगापुर जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रार्थीगण अधिवक्ता एवं पेरोकार सरकार को मजमे आम सुना गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने पर निवेदन किया । बाद बहस मैने प्रार्थना पत्र का अवलोकन कर गहन मनन किया। चूंकि पेरोकार सरकार एवं तहसीलदार सहाड़ा की मौके रिपोर्ट अनुसार साबिक आराजी नं0 3026/2294/2 रकबा 2 बीघा के हाल आ0नं0 5845, 5846, 5847, 5848, 5849, 5852 किता 6 रकबा कुल 0.44 हे0 को प्रार्थीगणों के नाम दर्ज किये गये है। साबिक आराजी नं0 3026/2294/2 के रकबा 2 बीघा हे0 में रकबा 0.4317 हे0 बनता है जिसके मुकाबले तत्समय कब्जा अनुसार भुप्रबंध विभाग द्वारा आराजी नं0 5845, 5846, 5847, 5848, 5849, 5852 किता 6 रकबा कुल 0.44 हे0 को प्रार्थीगणों के नाम दर्ज कर दिया जो सही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट का स्वीकार किया जाना उचित प्रतित नहीं होता है। अतएवं

:: आदेश ::

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल0आर0 एक्ट का पोषनीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी, गंगापुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2021.02.18 12:59:54 IST
Reason: SelfAttested